

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur-302015, Rajasthan

Website: <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/>

e-mail: jdacad1960@gmail.com Ph 0141-2706550

क्रमांक: एफ7(4)अकाद/आकाशि/Online/रिफ्रेशर/2021/ 250

दिनांक: 8 नवम्बर, 2021

प्राचार्य,
संबंधित राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषय:- ऑनलाईन रिफ्रेशर कोर्स में भाग लेने की अनुमति बाबत

संदर्भ:- विभाग के पत्रांक एफ 7 (4) यु.जी.सी/अकाद/आकाशि/2020/1265 दिनांक 02.11.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ऑनलाईन रिफ्रेशर कोर्स में भाग लेने हेतु निम्नलिखित सह/सहायक आचार्यों को अनुमति जारी की जाती है-

क्र. स.	नाम सह/सहायक आचार्य/श्री/श्रीमती/सुश्री/डॉ	विषय	महाविद्यालय का नाम	कोर्स जिसमें भाग लेना चाहते हैं।	कोर्स की अवधि	संस्थान जहाँ से कोर्स किया जाना है।
1.	विक्रम टॉक	रसायन शास्त्र	राज.पी.जी.महा. जालोर	रिफ्रेशर	01.12.2021 से 15.12.2021	जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर
2	श्रुति टण्डन	समाज शास्त्र	राज. मीरा कन्या महा.उदयपुर	रिफ्रेशर	15.11.2021 से 30.11.2021	जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर
3	वर्तिका जैन	वनस्पति शास्त्र	राज. मीरा कन्या महा.उदयपुर	रिफ्रेशर	15.11.2021 से 30.11.2021	जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर
4	डायालाल सांखला	ईएफएम	राज. कन्या महा. बाडमेर	रिफ्रेशर	09.11.2021 से 23.11.2021	जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर
5	मांगीलाल जैन	एबीएसटी	राज. कन्या महा. बाडमेर	रिफ्रेशर	09.11.2021 से 23.11.2021	जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर
6	सुनील कुमार मीणा	गणित	राज.महा.सिरोही	रिफ्रेशर	01.12.2021 से 15.12.2021	जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर
7	नवीन कुमार पारीक	अंग्रेजी	राज.पी.जी.महा. सरदारशहर, चूरू	रिफ्रेशर	8.11.2021 से 22.11.2021	जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर
8	रोहित बेरवाल	व्या. प्रशासन	राज.कन्या महा. सीकर	रिफ्रेशर	09.11.2021 से 23.11.2021	जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर

उक्त कोर्स में भाग लेने के लिए सह/सहायक आचार्यों को अनुमति देने से पूर्व प्राचार्य निम्नलिखित निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करें :-

1. प्राचार्य केवल उन सह/सहायक आचार्यों को कार्यमुक्त करें जिन्हें सी.ए.एस. के तहत कोर्स करना आवश्यक हो।
2. संबंधित सह/सहायक आचार्यों ने यदि सी.ए.एस. के तहत वरिष्ठ/चयनित/पे-बैंड IV के लिये आवश्यक कोर्स कर रखे हैं तो वे प्राचार्य को लिखित में सूचित करें कि उन्हें कोर्स की आवश्यकता नहीं है। जो सह/सहायक आचार्य तथ्य छुपाकर कार्यमुक्त होंगे उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी। प्राचार्य द्वारा कार्यमुक्त किये गये सह/सहायक आचार्य द्वारा कोर्स में भाग नहीं लेने पर संबंधित सह/सहायक आचार्य के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही के साथ-साथ उस तिथि के पश्चात एक वर्ष तक कोई अवसर प्रदान नहीं किया जावेगा। जिसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा।
3. वेबसाइट प्रभारी को अपलोड करने हेतु।

(डॉ सौमित्र नाथ झा)
संयुक्त निदेशक(अकादमिक)